—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 25/2024

उनवान

रामा पुत्र हरजी जाति रावत नि0 अन्सरी, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. करणा पुत्र हरजी जाति रावत नि. अन्सरी, नसीराबाद,
2. मैनेजर यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा लीडी,
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत,
2 अनुपस्थित, 3 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 23.12.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अन्सरी के खाता संख्या 23/26 किता 13 रकबा 1.45 की आराजी वादी के पिता हरजी पुत्र भिया के फौत होने के बाद जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 92 दिनांक 05.11.1999 से वादी के नाम दर्ज नही की गयी। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 92 दिनांक 05.11.1999 से हरजी पुत्र भियां के स्थान पर हन्जा पत्नी हरजी व करणा पुत्र हरजी के नाम दर्ज हुयी। आराजी मुतनाजा पर सभी का 1/3 हिस्सा निहित था। हन्जा पत्नी हरजी द्वारा अपना हिस्सा जरियें हक त्याग दिनांक 10.03.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया। हक त्याग के कारण आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा निहित है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

——2

//2//

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने परित्याग पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिरर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

ग्राम अन्सरी के खाता संख्या 23/26 किता 13 रकबा 1.45 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेंदारी दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरजी पुत्र भिया के नाम खातेदारी दर्ज थी। हरजी पुत्र भिया की मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 92 दिनांक 05.11.1999 से हरजी पुत्र भियां के स्थान पर हन्जा पत्नी हरजी व करणा पुत्र हरजी के नाम दर्ज हुयी। वादी हरजी पुत्र भिया का पुत्र है, किन्तु विरासत के नामान्तकरण में वादी का नाम दर्ज नही किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की माता हन्जा पत्नी हरजी ने आराजी मुतनाजा पर स्वयं का हिस्सा जरियें पंजीकृत हक त्याग पत्र के दिनांक 10.03.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का आराजी मुतनाजा पर 2/3 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादी भाई है। आराजी मुतनाजा वादी की पैतृक है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त तथ्य का खण्डन नही किया है। राजस्व अभिलेख में हरजी पुत्र भिया की विरासत दर्ज करते समय आराजी मुतनाजा वादी के नाम दर्ज नही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा के सम्पूर्ण हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 2 से ऋण प्राप्त किया है, जो वादी के हितों पर अप्रभावी है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी आराजी मुतनाजा पर 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम अन्सरी के खाता संख्या 23/26 किता 13 रकबा 1.45 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी उक्त आराजी पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामा बनाम करणा

दावा बाबत :— 88 188,92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 25/2024
पेश करने की दिनांक — 15.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम अन्सरी के खाता संख्या 23/26 किता 13 रकबा 1.45 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी उक्त आराजी पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 12 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद